प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन के संबंध में अक्सर
पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न-1 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन क्या है?

उत्तर- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) 1500/- रू. अथवा कम मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें शामिल होने की आयु 18 से लेकर 40 वर्ष तक है।

प्रश्न-2 क्या यह सरकारी योजना है?

उत्तर- जी हां

प्रश्न-3 इस योजना में कौन अंशदान कर सकता है?

उत्तर 18-40 वर्ष की आयु का कोई भी असंगठित कामगार जिसका काम अस्थायी प्रकृति का है, जैसे, घर पर काम करने वाले, सड़क पर सामान बेचने वाले, माल ढोने वाले, ईंट-भट्टे पर काम करने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, चमड़े का काम करने वाले आदि, जिनकी मासिक आय 15,000/- रू. से कम है। ऐसे कामगार को किसी भी संविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं होना चाहिए तथा आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

प्रश्न-4 इस योजना के क्या लाभ है?

उत्तर- यदि कोई अमंगठित कामगार योजना में अंशदान करता है तथा 60 वर्ष की आयु तक नियमित अंशदान करता है, तो इसे 3000/- रू. की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी। उसकी मृत्यु होने पर, उसकी पत्नी/पति को मासिक परिवार पेंशन मिलेगी जो पेंशन की 50% होगी।

प्रश्न-5 लाभार्थी कितने वर्ष तक अंशदान करेगा?

उत्तर- 18-40 वर्ष की आयु के बीच योजना का सदस्य बनने पर लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक अंशदान करना होगा।

प्रश्न-6 योजना के अंतर्गत कितनी पेंशन मिलेगी ? तथा किस आयु पर ?

उत्तर- योजना के अंतर्गत, 3000/- रू. प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अंशदाता के 60 वर्ष को होने पर पेंशन शुरू होगी।

प्रश्न-7 योजना का सदस्य बनने का पात्र कौन नहीं है?

उत्तर- ऐसा कोई भी कामगार योजना का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा जो एनपीएस, क.रा.बी.नि. , क.भ.नि.सं. जैसी किसी संविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर्ड हो तथा आयकर दाता हो।

प्रश्न-8 योजना का सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर- योजना के अंतर्गत, अंशदाता अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपने आधार नंबर तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता सं. को स्व-प्रमाणित करके जीएमएसवाईएम के लिए नामांकन कर सकता है। जीवन बीमा निगम के सभी शाखा कार्यालय, क.भ.नि.सं./क.रा.बी.नि. के कार्यालय भी अंशदाताओं को योजना, उसके लाभों तथा नामांकन पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। वे निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर तक पहुँचने में भी उनकी सहायता करेंगे।

प्रश्न-9 मझे नामांकन के लिए कहाँ जाना होगा?

उत्तर- नामांकन के लिए आप निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में जा सकते है। इसका पता लगाने के लिए आप locator.csccloud.in/. देख सकते हैं।

प्रश्न-10 क्या मुझे अपनी जन्मतिथि तथा आय का प्रमाण देना होगा?

उत्तर- आयु अथवा आय का अलग स्व-प्रमाणन देने की आवश्यकता नहीं है। आधार नंबर तथा स्व-प्रमाणन उपलब्ध कराने के आधार पर नामांकन किया जाएगा। हालांकि गलत जानकारी देने पर उचित दंड दिया जा सकता है।

प्रश्न-11 निधि प्रबंधक कौन होगा?

उत्तर- जी.बी.नि. निधि प्रबंधक होगा तथा यह पेंशन के भुगतान के लिए सेवा-प्रदाता भी होगा।

प्रश्न-12 क्या जीवन बीमा निगम के पास निधि सुरक्षित है?

उत्तर- निधि 100% सुरक्षित है। निधि के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण का संपूर्ण दायित्व राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का होगा जो माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है।

प्रश्न-13 निकासी के संबंध में क्या व्यवस्था है?

उत्तर- अमंगठित कामगारों की परेशानियों तथा रोजगार की अनियमित प्रकृति को देखते हुए, निकासी की व्यवस्था उदार है। निकासी-उपबंध इस प्रकार हैः

(i) यदि लाभार्थी किसी संगठित क्षेत्र में जाता है तथा वहां न्यूनतम 3 वर्ष तक काम करता है, तो उसका खाता सक्रिय रहेगा किन्तु सरकार का अंशदान (50%) बंद हो जाएगा। यदि लाभार्थी पूरी राशि देने के लिए सहमत हो जाता है, उसे इस योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु पर उसे प्रचलित बचत बैंक दरों के बराबर ब्याज के साथ उसका अंशदान निकाल दिया जाएगा।

(ii) यदि वह दिव्यांगता या अन्य किसी कारणों से अंशदान करने में असमर्थ है तो लाभार्थी नियमित अंशदान के न्यूनतम 5 वर्ष के पश्चात् स्वेच्छा से योजना छोड़ने का विकल्प चुन सकता है।

प्रश्न 14 एल.आई.सी. की क्या भूमिका है?

उत्तर- एल.आई.सी. निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा और सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों जिन्होंने योजना में अंशदान किया है, को पेंशन का भुगतान करने के लिए सेवा प्रदाता भी होगा।

प्रश्न 15 अंशदान का तरीका क्या है?

उत्तर- मुख्यत: अंशदान का तरीका ऑटो-डेबिट द्वारा मासिक आधार पर है। परंतु इसमें त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक अंशदान का भी प्रावधान होगा। पहले अंशदान का भुगतान सामान्य सेवा केंद्र पर नकद में किया जाना है।

प्रश्न 16 मुझे कितना अंशदान करना है?

उत्तर- अंशदाता के अंशदान की वास्तविक राशि का निर्धारण योजना में प्रविष्टि की आयु पर होगा। 29 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश पर लाभार्थी को 100% रूपये प्रति माह का अंशदान करना है।

प्रश्न 17 क्या ऑटो-डेबिट सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर- जी हां। मासिक अंशदान उसके लिंक किए गए बचत खाते से प्रत्येक माह की निश्चित तिथि से स्वत: ही डेबिट हो जाएगा।

प्रश्न 18 भारत सरकार का क्या दायित्व है?

उत्तर- योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक पूर्ण रूप से समर्पित कॉल सेंटर और योजना प्रबंधन इकाई का गठन करेगा। योजना के प्रभावकारी ढंग से प्रशासन के लिए संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण) पीएमयू के नोडल अधिकारी रहेंगे। पीएमयू लेखा परीक्षा प्रदर्शन, पर्याप्ता और निधि प्रबंधन के लिए भी

उत्तरदायी होगी। जैसा यूडब्ल्यूएसएस अधिनियम, 2008 की धारा 5(8) (सी) में अनिवार्य है पूरी योजना का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (एनएसएसबी) द्वारा किया जाएगा।

प्रश्न 19 क्या कोई प्रशासनिक प्रभार होगा?

उत्तर- चूंकि यह भारत सरकार की पूरी तरह से सामाजिक सुरक्षा योजना है इसलिए अंशदाता के लिए कोई प्रशासनिक प्रभार नहीं होगा।

प्रश्न 20 क्या नामांकन की सुविधा है?

उत्तर- जी हां, योजना के तहत, नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। लाभार्थी योजना के तहत किसी को भी नॉमिनी नामित कर सकता है।

प्रश्न 21 क्या पारिवारिक पेंशन है?

उत्तर- जी हां, योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। यह केवल अंशदाता के पति/पत्नी पर लागू है। यदि पेंशन शुरू होने के पश्चात् अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, लाभार्थी के पति/पत्नी पेंशन का 50% प्राप्त करने के पात्र होंगे।

प्रश्न 22 योजना के पूरे भारत में शुरू करने के लिए कितना समय लेगा?

उत्तर- योजना चुने गए सीएससी में 15 फरवरी, 2019 से और पूरे भारत में 25 फरवरी तक शुरू होगी।

प्रश्न 23 क्या इस स्तर पर अंशदाताओं को कोई नुकसान है?

उत्तर- अंशदाताओं को किसी भी समय कोई नुकसान नहीं है। यदि अंशदाता नियमित अंशदान का भुगतान करने के 5 वर्ष के पश्चात योजना छोड़ देते हैं तो उसका पूरा अंशदान बचत खाता दरों के बराबर ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा।

प्रश्न 24 यदि अंशदान की अदायगी रोक दी जाती है? तो क्या अंशदाता फिर से योजना में पुन: शामिल हो सकता है / योजना पुनर्जीवित कर सकता है।

उत्तर- यदि अंशदान की अदायगी रोक दी गई है या देरी हो गई है तब भी अंशदाता बाद में ब्याज के साथ लंबित अंशदान के भुगतान के पश्चात योजना को पुनर्जीवित कर सकता है।

प्रश्न 25 क्या अंशदाता को जमा की विवरणी स्टेटमेंट प्राप्त होगी?

उत्तर- जी हां, अंशदाता को प्रतयेक लेन-देन की मिनी विवरण (स्टेटमेंट) उसके मोबाइल पर एसएमएस द्वारा प्राप्त होगी।

प्रश्न 26 यदि अंशदाता नियमित अंशदान के लिए 10 वर्ष से पूर्व योजना छोड़ देता है तो क्या होगा?

उत्तर- ऐसी स्थिति में अंशदाता को कुल अंशदान के केवल उसके भाग को बचत बैंक ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।

प्रश्न 27 यदि अंशदाता 10 वर्ष के पश्चात् परंतु पेंशन जारी होने से पूर्व योजना छोड़ देता है तो क्या होगा?

उत्तर- ऐसी स्थिति में, अंशदता को केवल उसका अंशदान संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। परंतु, वह सरकार के भाग को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रश्न 28 पेंशन शुरू होने से पूर्व मृत्यु होने की दशा में क्या होगा ?

उत्तर- ऐसी स्थिति में, यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तब पति/पत्नी शेष अवधि के लिए नियमित अंशदान की अदायगी द्वारा बाद में योजना में शामिल होने और जारी रखने के लिए पात्र होंगे। अंशदान अवधि समाप्त होने के पश्चात पति/पत्नी को 3000/- रूपए मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यदि पति/पत्नी चाहे तो सदस्य के अंशदान की राशि उनके नामित को बचत बैंक ब्याज पर सहित लौटा दी जाएगी।

प्रश्न 29 मैं अपनी शिकायत का निपटारा कैसे करा सकता हूं।

उत्तर - पीएसएसवाईएच से संबंधित शिकायत के लिए आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर अथवा जन कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न 30 क्या पीएमएसवाईएम का सदस्य बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है।

उत्तर- जी नहीं, योजना को अपनाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है।

प्रश्न 31 क्या अंशदाता योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि से अधिक स्वैच्छिक अंशदान कर सकता है? यदि ऐसा है तो अंशदाता को क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर- जी नहीं, अंशदाता को केवल नियत अंशदान की राशि का भुगतान करना होगा जैसा कि योजना अपनाने के समय निर्धारित किया गया है।

प्रश्न 32 क्या अतिरिक्त अथवा उच्च अंशदान करके असंगठित कामगार के लिए 40 वर्ष से ऊपर छूट मिल सकती है?

उत्तर - योजना के प्रावधानों में ऐसी किसी छूट का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न 33 क्या अंशदाता की मृत्यु के पश्चात कोई नामांकन सुविधा (पति पत्नी के अलावा) उपलब्ध है?

उत्तर- पति/पत्नी, यदि जिंदा हों, स्वत: परिवार पेंशन की हकदार हो जाएगी, यदि मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है अथवा मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है।

प्रश्न 34 यदि अंशदाता लगातार अंशदान करने में असफल रहता है तो क्या अतिरिक्त प्रभार देय होगा। यदि ऐसा है तो अतिरिक्त प्रभार कितना होगा?

उत्तर- यदि अंशदाता लगातार अंशदान करने में असफल रहता है तो वह अपने अंशदान को दण्ड प्रभार, यदि कोई हो, जिसका निर्धारण समय-समय पर सरकार द्वारा किया जाएगा के बकाया देय का एक मुश्त भुगतान करके अंशदान को नियमित कर सकता है।

प्रश्न 35 क्या 60 वर्ष की आयु के पश्चात पेंशनभोक्ता तथा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु होने पर उनके अश्रितों को पेंशन दी जाएगी।

उत्तर - जी नहीं, अंशदाता तथा उसके पति/पत्नी की मृत्यु होने के पश्चात अश्रित पेंशन के हकदार नहीं होंगे।

प्रश्न 36 नामांकन केंद्र पर कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे?

उत्तर- अंशदाता को आधार कार्ड, बचत बैंक पास बुक एवं स्व-प्रमाणित फार्म तथा ऑटो डेबिट सुविधा हेतु सहमति फार्म प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 37 क्या अंशदाता को 60 वर्ष तक की आयु तक मासिक अंशदान देना होगा?

उत्तर - जी हां, योजना से जुड़ने के पश्चात 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित मासिक अंशदान का भुगतान करना होगा।

प्रश्न 38 पेंशन प्राप्त करने के लिए अंशदाता द्वारा 60 वर्ष की आयु होने पर क्या कार्रवाई करनी होगी?

उत्तर - अंशदता की आयु 60 वर्ष होने पर उसके लिंक्ड बैंक खाते में पेंशन जमा होने लगेगी।

प्रश्न 39 यदि पति पत्नी दोनों पीएसएसवाईएच के सदस्य हैं एवं दोनों की मृत्यु हो जाती है तो क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे ?

उत्तर – नामित व्यक्ति अंशदाता (दोनों) का अंशदान ब्याज सहित प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 40 यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी/पति अंशदान देकर योजना में बने रहना चाहता है तो क्या मूल अंशदाता की 60 वर्ष में बचे वर्षों के लिए अंशदान करना होगा अथवा पति/पत्नी की आयु 60 वर्ष होने तक?

उत्तर – ऐसे मामले में तब तक अंशदान देना होगा जब तक मूल अंशदाता की आयु 60 वर्ष की न हो जाए।

प्रश्न 41 क्या अंतरिम ऋण शिक्षा, विवाह एवं निर्माण के लिए कोई प्रावधान हैं?

उत्तर – योजना में इस प्रकार के किसी ऋण की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न 42 राज्य सरकारें अपनी असंगठित कामगार योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लाभ उपलब्ध कर रही हैं, क्या ऐसे सदस्य भी पीएसएसवाईएच योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर – जी हां, यदि अंशदाता पात्रताएं पूरी करता है तो वह योजना से जुड़ सकता है।

प्रश्न 43 क्या ऐसा अंशदाता जो पेंशन भविष्य निधि योजना का लाभार्थी है पीएसएसवाईएच का सदस्य बन सकता है?

उत्तर– जी नहीं

प्रश्न 44 यदि किसी कामगार के एक से अधिक पति / पत्नी है, तो किस पति/ पत्नी को नामिति घोषित किया जाएगा और परिवार पेंशन किसे प्राप्त होगी ?

उत्तर - हां। यदि पात्र हैं तो अटल पेंशन योजना के अतिरिक्त पीएम–एसवाईएल योजना में प्रवेश कर सकते हैं।

प्रश्न 45 क्या, मुद्रास्फीती के कारण, भविष्य में रू. 3,000/– प्रतिमाह से अधिक पेंशन की मात्रा की वृद्धि होगी ?

उत्तर- वर्तमान में, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है परंतु भविष्य की परिस्थितियों पर यह निर्भर है।

प्रश्न 46 अंशदाता के अंशदान के लिए भुगतान की पद्धति क्या होगी ?

उत्तर - आरंभिक अंशदान नकद द्वारा भुगतान किया जाना है। तथापि, अनुवर्ती माह का अंशदान अंशदाता के बचत बैंक खाता / जन-धन खाता से ऑटो-डेबिट हो जाएगा।

प्रश्न 47 यदि एक कामगार इस योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगार के रूप में प्रवेश करता है और संगठित क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करके क.भ.नि.सं. के अंतर्गत नामांकित होता है, तथा बाद में पुन: असंगठित क्षेत्र में आ जाता है तो इसके लिए तौर तरीके क्या होंगे ?

उत्तर- कामगार के असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में जाने की स्थिति में, अंशदाता योजना के साथ जारी रह सकते है। तथापि सरकार का अंशदान रूक जाएगा तथा सदस्य को सरकार के हिस्से के समान अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। वैकल्पिक रूप से, वह ब्याज सहित अपना अंशदान का प्रत्याहरण कर सकता है।

प्रश्न 48 यदि कोई कामगार आय का स्रोत खो देता है और मासिक प्रीमियम का अंशदान नहीं कर पा रहा हैं तो क्या होगा है ?

उत्तर - ऐसी स्थिति में पहले से वर्णित प्रावधान के अनुसार वह योजना से बाहर निकल सकता है।

प्रश्न 49 योजना में प्रवेश करने के पश्चात्, यदि अंशदाता की आय रू. 15,000/- प्रतिमाह से अधिक हो जाता है तो क्या होता है ?

उत्तर - अंशदाता योजना में जारी रह सकते है।

प्रश्न 50 आधार आधारित प्रमाणीकरण / ई-केवाईसी के लिए क्या तरीका होगा ?

उत्तर- बॉयोमेट्रिक्स के माध्यम से ।

प्रश्न 51 हेल्पलाइन / शिकायत निवारण तंत्र को कौन प्रचालित करेंगे ?

उत्तर - इसके लिए निर्दिष्ट कॉल सेंटर है और टोल-फ्री नंबर - 18002676888 है।

प्रश्न 52 कुछ आवश्यकताओं की स्थिति में अंशदान की कोई आंशिक निकासी है ? यदि ऐसा है, तो कितने लॉक-इन अवधि के पश्चात् ?

उत्तर- आंशिक या पूर्ण रूप से अंशदान के प्रत्याहरण के लिए कोई सुविधा नहीं है।

प्रश्न 53 खो जाने / नष्ट होने आदि की स्थिति में क्या ई-कार्ड को दुबारा डाऊनलोड किया जा सकता है ?क्या इसके लिए कोई प्रभार का भुगतान किया जाना है ?

उत्तर- हां। खो जाने या नष्ट होने की स्थिति में ई-कार्ड को डाऊनलोड किया जा सकता है ।

प्रश्न 54 क्या किसी सहकारी बैंक में बचत बैंक खाता को भी अंशदान के भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा हेतु सहबद्ध किया जा जा सकता है ?

उत्तर - यदि सीबीएस प्लैटफॉर्म पर सहकारी बैंक है तो बचत बैंक खाते को ऑटो-डेबिट के लिए सहबद्ध किया जा सकता है।

प्रश्न 55 यदि किसी राज्य ने यूडब्लूएसएसए 2008 के तहत असंगठित कामगार को पंजीकृत नहीं किया है तो क्या इस योजना के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया को अधिनियम की धारा 10(3) के तहत पंजीकरण प्रक्रिया समझा जा सकता है ?

उत्तर - नहीं । धारा 10(3) के अंतर्गत पंजीकरण और योजना के अंतर्गत नामांकन अलग प्रक्रियाएं है।

प्रश्न 56 यदि सीएससी नेटवर्क पंजीकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है तो प्रति पंजीकरण सेवा प्रभार कितना होगा तथा इस खर्च को कौन वहन करेगा ?

उत्तर - नामांकन के लिए सेवा प्रभार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा अंशदाता द्वारा कोई सेवा प्रभार देय नहीं है।

प्रश्न 57 क्या बैंक ऑटो डेबिट प्रयोजन के लिए डाउनलोड करके भरा गया आवेदन पत्र पर्याप्त है – कामगार को बैंक में कोई अन्य फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी ?

उत्तर - इस फार्म में एक खंड उनके खाते से ऑटो डेबिट की सहमति के लिए है, अत: कोई अन्य प्रपत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 58 क्या एसएमएस की भाषा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में है या केवल अंग्रेजी / हिंदी में ही है ?

उत्तर- एसएमएस अंग्रेजी / हिंदी भाषा में भेजे जाएंगे।

प्रश्न 59 सुविधा केन्द्र के निकटतम स्थान पता करने के लिए क्या कोई इन्टरएक्टिव नक्शा है ?

उत्तर - सीएससी साइट पर निकटतम स्थान की जानकारी उपलब्ध है अथवा सुविधा केंद्रों में सूचना उपलब्ध होगी। locator.csccloud.in पर आप लोकेटर का प्रयोग कर सकते है।

प्रश्न 60 अंशदान में चूक होने की स्थिति में चूक हुए प्रीमियम के भुगतान के लिए क्या पद्धति है ? क्या वह ऑटो-डेबिट के माध्यम से है या नकद या चेक के माध्यम से ?

उत्तर- दंड / ब्याज के साथ अंशदान की राशि उसकी इच्छा के आधार पर अंशदाता के खाते से डेबिट की जाएगी।

प्रश्न 61 यदि किसी कामगार के एक से अधिक पति / पत्नी है, तो किस पति/ पत्नी को नामिति घोषित किया जाएगा और परिवार पेंशन किसे प्राप्त होगी ?

उत्तर - अंशदाता द्वारा नामित किए गए पति / पत्नी को परिवार पेंशन प्राप्त होगी। फिर भी, प्रतिस्पर्धी दावाकर्ताओं के मामले में, न्यायालय का आदेश मान्य होगा।

प्रश्न 62 यदि कामगार लिंक किए गए बैंक खाते को ऑटो डेबिट के लिए परिवर्तित करता है तो क्या पेंशन खाते के माइग्रेशन का कोई प्रावधान है ?

उत्तर- माइग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, पेंशन खाता संख्या एक विशिष्ट संख्या होगी और अंशदाता के बैंक खाते से लिंक की जाएगी ।

प्रश्न 63 यदि अंशदाता ऑटो डेबिट सुविधा के लिए भौतिक रूप से सहमति फार्म देता है। परंतु यदि उसके खाते में अपर्याप्त शेष है, तो उसके खाते का क्या होगा ?

उत्तर- इसे भुगतान में चूक माना जाएगा और उसे उसके समस्त बकाया देयों का, दंड प्रभार यदि कोई हों, जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा, सहित भुगतान करके अंशदान को विनियमित करने की अनुमति दी जाएगी।

प्रश्न 64 यदि किसी अंशदाता के पास पुराना आधार कार्ड है, जिस पर केवल जन्म का वर्ष लिखा है, उस स्थिति में जन्म तिथि किस प्रकार निर्धारित की जाएगी और पेंशन किस तिथि से शुरू होगी ?

उत्तर- जन्म तिथि का निर्धारण अंशदाता के स्व-प्रमाणन के आधार पर होगा। अंशदान का निर्धारण भी इसके आधार पर किया जाएगा।

प्रश्न 65 सदस्य की मासिक अंशदान की देय तिथि क्या है ?

उत्तर- नामांकन की तिथि प्रत्येक माह

प्रश्न 66 मासिक अंशदान की स्थिति अंशदाता को कैसे ज्ञात होगी ?

उत्तर- मासिक अंशदान की कटौती के पश्चात्, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा।

प्रश्न 67 क्या अंशदाता को पंजीकरण के समय अपनी फोटो भी प्रस्तुत करनी होगी ?

उत्तर- किसी भी फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है।